

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

सं0सं0-04/कृ0के0यो0(RAD)-16/2024 107

/कृ0, रांची, दिनांक-02-01-2025

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, रांची।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY योजनान्तर्गत Rainfed Area Development उपयोजना हेतु केन्द्रांश रु. 133.00 लाख, राज्यांश रु. 88.66 लाख इस प्रकार कुल रु. 221.66 लाख (दो करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-38 दिनांक-15.07.2024 एवं आवंटनादेश सं0-52 दिनांक-18.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Rainfed Area Development उपयोजना हेतु केन्द्रांश रु. 133.00 लाख, राज्यांश रु. 88.66 लाख इस प्रकार कुल रु. 221.66 लाख (दो करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-11/2024-RKVY दिनांक-14.11.2024 के द्वारा इस योजना हेतु द्वितीय किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश कुल रु. 138.00 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।
- आवंटित राशि निम्न तालिका के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में संगत बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगी :- (राशि लाख रु0 में)

क्र.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-A0-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उप योजनाशीर्ष-02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01C240100796A0020652) 52-सबसिडी (01S240100796A0020652)	144.00 96.00	36.00 24.00	36.00 24.00	72.00 48.00
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष-A0-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उप योजनाशीर्ष-02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01C240100102A0020652) 52-सबसिडी (01S240100102A0020652)	340.00 226.66	85.00 56.67	80.00 53.33	165.00 110.00

1/2

107

3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-A0-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उप योजनाशीर्ष-02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01C240100789A0020652)	66.00	17.00	17.00	34.00
	52-सबसिडी (01S240100789A0020652)	44.00	11.33	11.33	22.66
	कुल योग	916.66	230.00	221.66	451.66

(दो करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र।

4. आवंटित राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति हेतु SNA SPARSH model की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राशि की अनियमित निकासी/व्यय एवं विचलन तथा योजना का दोहरीकरण होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार की योजना मार्गदर्शिका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-11/2024-RKVY दिनांक-14.11.2024 में निहित शर्तों/अनुदेशों का पालन करते हुए तथा इस संबंध में State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव/कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
9. योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से समर्पित करना होगा। व्यय से संबंधित संपूर्ण लेखा का संधारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात विस्तृत व्यय विवरणी एवं योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

1/10

107

107  
02-01-2025

11. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं०-38 दिनांक-15.07.2024 में सन्निहित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(RAD)-16/2024 107

/कृ०, रांची, दिनांक...०२-०१-२०२५

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(RAD)-16/2024 107

/कृ०, रांची, दिनांक...०२-०१-२०२५

प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी०-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(RAD)-16/2024 107

/कृ०, रांची, दिनांक...०२-०१-२०२५

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सांख्यिकी कोषांग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

10



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चाहू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 04/KKY-16/2024/107

दिनांक - 02-Jan-2025



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 240100102A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 102 - खाद्यान्न फसलें A0 - नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79231	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	8,000,000.00  रुपये अस्सी लाख
2	S 01 240100102A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 102 - खाद्यान्न फसलें A0 - नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79236	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	5,333,000.00  रुपये तीरपन लाख तैतीस हजार
3	C 01 240100789A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना A0 - नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79232	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	1,700,000.00  रुपये सत्रह लाख

योग: 15,033,000.00  
रुपये एक करोड पचास लाख तैतीस हजार

क्रमिक योग:

(KUMAR TARACHAND)

DIRECTOR OF AGRICULTURE



—

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 01 240100789A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना A0 - नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79238	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	1,133,000.00  रुपये ग्यारह लाख तैतीस हजार
5	C 01 240100796A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना A0 - नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79229	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	3,600,000.00  रुपये छत्तीस लाख
6	S 01 240100796A0020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना A0 - नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 02-रेनफेड एरिया डेवलपमेंट 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE(0947) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA(9145)	79235	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	2,400,000.00  रुपये चौइस लाख

योग:

रुपये दो करोड इक्कीस लाख छछठ हजार

7,133,000.00

क्रमिक योग:

22,166,000.00

(KUMAR TARACHAND)  
DIRECTOR OF AGRICULTURE

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

-